<u>न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)</u>
<u>बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.</u>

<u>मुकदमा सं. 02/2021</u>

<u>प्रार्थी</u>

श्री मरूधर आशापुरण पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर तीर्थ ट्रस्ट मुकाम नून पोस्ट कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही जरिए ट्रस्टी भरत संघवी

<u>बनाम</u>

<u>अप्रार्थी</u>

सरकार जरिए तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4/5 भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878</u>

<u>उपस्थिति :–</u>

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पेरोकार सरकार।

<u>निर्णय</u>

दिनांक 26.11.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत नारादरा के ग्राम लोटीवाडा बडा तहसील शिवगंज में ग्राम पंचायत द्वारा पाईपलाईन खुदाई का कार्य करते समय खाई से अचानक सफेद शिला निकली, जो महावीर स्वामी की मूर्ति है, जिस पर संवत 1355 अंकित है, जो तहसीदार शिवगंज एवं उपखण्ड अधिकारी शिवगंज की देखरेख व उपस्थिति में नीलकण्ठ महादेव मन्दिर लोटीवाडा में रखवाई गई। अतः उक्त मूर्ति को भविष्य में सार संभाल के लिए प्रार्थी ट्रस्ट को दिलवाए जाने हेतु प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878 के तहत पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार शिवगंज को नोटिस जारी किया गया, जिस पर पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

प्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा ने निवेदन किया गया कि प्रार्थी श्री मरूधर आशापुरण पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर तीर्थ ट्रस्ट मुकाम नून पोस्ट कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही देवस्थान सिरोही के तहत लोक न्यास अधिनियम 1959 के तहत पंजीकृत ट्रस्ट है, जिसका विधान अनुसार ट्रस्ट बना हुआ है एवं प्रार्थी भरत संघवी, उक्त ट्रस्ट में ट्रस्टी के पद पर कार्यरत है। यह है कि उक्त ट्रस्ट एक जैन श्वेताम्बर के रूप में मन्दिर व उनकी सम्पत्ति तथा मूर्तियों की देखरेख करता है तथा जैन विधि अनुसार मूर्तियों की पूजा का कार्य नियमित रूप से सम्पादित किया जाता है। उक्त गांव नून में जैन धर्म में पार्श्वनाथ के 108 की नामावली सुशोभित प्राचीन तीर्थ है। यह है कि ग्राम पंचायत [illegible] के [illegible]वाडा बडा तहसील शिवगंज में ग्राम पंचायत द्वारा पाईपलाईन खुदाई का [illegible] के समय अचानक सफेद शिला निकली एवं मिट्टी से सनी [illegible] उस समय [illegible] किसी का ध्यान नहीं गया एवं दिनांक 05.06.2021 को हुई वर्षा से मूर्ति के [illegible] होने पर [illegible] के रूप में दिखाई दी। यह है कि [illegible] वाडा बडा के खसरा [illegible] 247 किस्म आबादी में मेघवालों की गली में गरमाराम पुत्र हेमाजी जाति हिरागर के मकान के पास से निकली। उक्त मूर्ति भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति है, जिस पर संवत 1355 अंकित है। यह है कि उक्त मूर्ति को तहसीलदार शिवगंज व उपखण्ड अधिकारी शिवगंज की देखरेख व उपस्थिति में दिनांक 14.06.2021 को मौका प्रोसेडिंग की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:40:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

एवं गांव के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष नीलकण्ठ महादेव मन्दिर लोटीवाडा में रखवाई गई तथा पुजारी मूलशंकर रावल पुत्र श्री राजाजी रावल की देखरेख में रखवाई गई। यह है कि प्रार्थी ट्रस्ट गांव लोटीवाडा तहसील शिवगंज से करीब व नजदीक में स्थित है, वह उक्त मूर्ति,जो जैन समाज की धरोहर है, को प्राचीन जैन मन्दिर नून में विधि विधान सहित स्थापित कर नियमित भगवान महावीर के सिद्धान्त अनुसार पक्षाल, पूजा, अर्चना करना चाहते है तथा उक्त पुरानी धरोहर को इस ट्रस्ट के मन्दिर में स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना करना चाहते है। यह है कि खसरा संख्या 247 किस्म आबादी में आम रास्ते की भूमि पर खुदाई करते समय निकली है, जो किसी की निजी सम्पत्ति नहीं है और न ही किसी भी व्यक्तिगत व्यक्ति के मालिकी की भूखण्ड में से निकली है, न ही ऐसा किसी ने क्लेम किया है। यह है कि प्रार्थी ट्रस्ट उक्त मूर्ति को नियमानुसार पूजा पाठ करने एवं मन्दिर में नियमानुसार स्थापित करने की अण्डरटेकिंग देता है तथा उक्त मूर्ति को भविष्य में भी सार संभाल करने तथा सही ढंग से रखने की जवाबदारी लेता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करना फरमाकर उक्त मूर्ति का ट्रस्ट को सूपुर्द करने के आदेश प्रदान करावें।

सरकार की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया कि उक्त मूर्ति को प्रार्थी ट्रस्ट को दिए जाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, न ही किसी भी व्यक्ति ने उक्त मूर्ति के संबंध में क्लेम प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि ग्राम पंचायत नारादरा के ग्राम लोटीवाडा बडा तहसील शिवगंज में ग्राम पंचायत द्वारा पाईपलाईन खुदाई का कार्य करते समय खसरा संख्या 247 किस्म आबादी में मेघवालों की गली में श्री गरगाराम पुत्र श्री हेमाजी जाति हिरागर के मकान के पास से अचानक सफेद शिला निकली एवं मिट्टी से सनी होने के कारण उस पर किसी का ध्यान नहीं गया एवं दिनांक 05.06.2021 को हुई वर्षा से मूर्ति के ऊपर से मिट्टी साफ होने पर मूर्ति के रूप में दिखाई दी। उक्त मूर्ति भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति है, जिस पर संवत 1355 अंकित है, जिसे तहसीलदार शिवगंज व उपखण्ड अधिकारी शिवगंज की देखरेख व उपस्थिति में दिनांक 14.06. 2021 को मौका प्रोसेडिंग की गई एवं गांव के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष नीलकण्ठ महादेव मन्दिर लोटीवाडा में रखवाई जाकर पुजारी मूलशंकर रावल पुत्र श्री राजाजी रावल एवं ग्रामवासियों की देखरेख में उक्त मूर्ति के दीवा धूप करने की हिदायत के साथ रखवाई गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन है कि प्रार्थी ट्रस्ट ग्राम लोटीवाडा तहसील शिवगंज से करीब व नजदीक में स्थित होने से उक्त भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति को प्राचीन जैन मन्दिर नून में विधि विधान सहित स्थापति कर नियमित भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत अनुसार पक्षाल, पूजा अर्चना करना चाहते। यह है कि प्रार्थी ट्रस्ट श्री मरूधर आशापुरण पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर तीर्थ ट्रस्ट मुकाम नून पोस्ट कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही देवस्थान सिरोही के तहत लोक न्यास अधिनियम 1959 के तहत पंजीकृत संख्या 01/2021 पंजीकृत ट्रस्ट है एवं प्रार्थी भरत संघवी उक्त ट्रस्ट में ट्रस्टी के पद पर कार्यरत है जिन्होंने उक्त भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति को पूजा पाठ करने के [illegible] करने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी [illegible] मूर्ति के संबंध में किसी ने कोई क्लेम प्रस्तुत नहीं किया है एवं [illegible] द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं की गई है। यह है कि प्रार्थी ट्रस्ट ने उक्त भगवान महावीर की मूर्ति को पूजा पाठ करने एवं मन्दिर में स्थापित करने की अण्डरटेकिंग दी [illegible] तथा भविष्य में भी उक्त मूर्ति को सार संभाल करने एवं सही ढंग से रखने की जवाबदारी दी है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3/4 भारतीय निखात निधी अधिनियम 1878 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:40:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

स्वीकार किया जाकर ग्राम लोटीवडा बडा तहसील शिवगंज में खुदाई में मिली भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति को प्रार्थी ट्रस्ट श्री मरूधर आशापुरण पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर तीर्थ ट्रस्ट मुकाम नून पोस्ट कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही को इस शर्त के साथ सुपूर्द किए जाने के आदेश दिए जाते है कि भविष्य में यदि उक्त मूर्ति के संबंध में कोई क्लेम प्रस्तुत करता है या यह सिद्ध हो जाता है कि उक्त भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति की पूजा अर्चना एवं सार संभाल प्रार्थी ट्रस्ट द्वारा विधिवत् नहीं किया जा रहा है तो अप्रार्थी उक्त भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति को कब्जे सरकार लेने के लिए स्वतंत्र रहेगें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:40:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner